>

Title: Need to provide adequate honorarium to Grameen Dak Sevaks in the country.

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल) : मैं इस सरकार का ध्यान ग्रामीण सड़क डाक सेवकों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूं। डाक विभाग में लगभग पौने तीन लाख ग्रामीण डाक सवक कार्यरत हैं जो कि लगभग 8 घंटे कार्य करते हैं परन्तु उन्हें मानदेय 5 घंटे के हिसाब से मिलता है। यह ठीक नहीं है। शाखा डाकघरों के माध्यम से ग्राहकों को बचत बैंक, सावधि जमा, ग्रामीण डाक बीमा एवं महिला समृद्धि योजना इत्यादि सुविधायें उपलब्ध हैं। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि डाक विभाग का 80 प्रतिशत कार्य ग्रामीण डाक सेवकों पर ही निर्भर है। अतः ग्रामीण डाक सेवा को जीवंत बनाये रखने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि विभिन्न ग्रामों में स्थित शाखा डाकघरों के माध्यम से 'मनरेगा ' अंतर्गत देय राशि का भुगतान भी हो रहा है, लेकिन बैंकों की दूरी शाखा डाकघरों की अपेक्षा अधिक होती हैं जिससे मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी प्राप्त करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण डाक सेवकों को मिलने वाला समय संबद्ध निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) जो पाएंट सिस्टम से दिया जाता है उसे हटाकर उन्हें प्रो–राटा आधार पर लगभग 8 घंटे का वेतन दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण तार विभाग के कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा एवं उनके अचानक दुर्घटनाग्रस्त होने पर विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है।

मशीनी मैनेजमेंट में पिछले 10 वर्षों की मशीनों को केवल रिपेयर करके ही काम चलाने की व्यवस्था की गई है। नयी मशीनें नहीं ली जाती हैं।

छीन्दवाड़ा और बैतूल संभाग में जिन 48 पदों में पिछली भर्ती नियुक्ति होनी थी जो आज भी केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कोर्ट में लंबित है जिस पर सुनवाई चल रही है। अतः इसका जल्द से जल्द फैसला कर जल्द ही उन पदों पर नियुक्ति की जाए।